झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: संकल्प ::

3405
27/4/16

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक–530 / मेसो, दिनांक 08.10.2012 एवं पत्रांक–08 / आई0टी0डी0ए0, दिनांक 09.01.2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–12343, दिनांक 05.11.2012; पत्रांक–410, दिनांक 12.01.2013; संकल्प संख्या–10403, दिनांक 22.10.2014; संकल्प संख्या–3088, दिनांक 07.04.2015 एवं संकल्प संख्या–3928, दिनांक 29.04.2015
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–153 / 2015, दिनांक 13.07.2015

श्री अंजनी कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–570 / 03, गृह जिला– मुंगेर), के विरूद्ध प्रभारी परियोजना पदाधिकारी, राजमहल मेसो क्षेत्र, साहेबगंज के पद पर कार्यावधि में उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक–530 / मेसो, दिनांक 08.10.2012 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र– 'क' में श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :–

आरोप संख्या–1– वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि में मेसो परियोजना पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज के प्रभार में रहने के दौरान श्री कुमार के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए आय वृद्धि योजना अन्तर्गत प्रोटोटाईप योजना के क्रियान्वयन में गम्भीर लापरवाही एवं वित्तीय नियमों की अनदेखी कर उद्वह सिंचाई योजना, वारी कूप / उथला कूप एवं तालाब से संबंधित योजनाओं में प्राक्कलित राशि के अनुसार ठीक उतनी ही राशि की प्रविष्टि मापी पुस्त में कराया गया एवं शतप्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है, जबकि योजनाओं की जाँच कराने पर यह पाया गया कि योजनाओं का कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं है। इस प्रकार श्री कुमार की सहभागिता से मापी पुस्त में वास्तविक कार्य से काफी बढ़ा–चढ़ाकर कार्य की प्रविष्टि कराकर एवं बिना स्थल जाँच किये एक बड़ी सरकारी राशि का बन्दरबाँट कर लिया गया है।

आरोप संख्या–2– अपने पदस्थापन काल में अनुसूचित जनजाति के आय वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण एवं सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना का श्री कुमार के द्वारा कभी भी स्थल निरीक्षण अथवा योजनाओं की जाँच नहीं किया गया। अपितु इस कार्य हेतु चयनित संस्था 'समाज कल्याण विकास सेवा सदन' के फर्जी तरीके से स्वघोषित अध्यक्ष, श्री दिनेश पटेल के साथ साँठ–गाँठ कर अपने लाभ के लिए उसे वित्तीयों नियमों की उपेक्षा कर पोषित किया गया है। इसकी पुष्टि संचिका पर श्री कुमार के द्वारा बिना परियोजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त किये समाज कल्याण विकास सेवा सदन के स्वघोषित फर्जी अध्यक्ष श्री दिनेश पटेल को कुल 8,31,700.00 (आठ लाख इक्तीस हजार सात सौ रूपये) का भुगतान कर दिया गया है, जो स्पष्टतः वित्तीय नियमों एवं परियोजना हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के निदेशों के विपरीत है।

आरोप संख्या–3– अपर समाहर्त्ता के जाँच प्रतिवेदन में प्रोटोटाईप योजना फेज–II अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के आयवृद्धि हेतु चयनित योजनाओं को अनुपयोगी बताया गया है एवं इस योजना में लाभुकों को उपलब्ध कराया गया डीजल पम्प न तो पम्प हाऊस में पाया गया और न ही लाभुकों ने इसे पाने की बात स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि योजना अनुपयोगी होना एवं डीजल पम्प का अधिष्ठापन नहीं होना वस्तुतः श्री कुमार की लापरवाही, मिलीभगत एवं गलत मंशा को स्थापित करता है एवं सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल व्यय राशि 74.30 लाख (चौहत्तर लाख तीस हजार रूपये) के निरूद्देश्य एवं निरर्थक बनाने में श्री कुमार की भूमिका प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होती है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–12343, दिनांक 05.11.2012 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक–133, दिनांक 20.12.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–410, दिनांक 12.01.2013 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त अनुपालन में उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक–08/आई0टी0डी0ए0, दिनांक 09.01.2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प संख्या–10403, दिनांक 22.10.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार मिश्र को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री मिश्र के कार्य मुक्त होने के पश्चात् इनके स्थान पर विभागीय संकल्प संख्या–3088, दिनांक 07.04.2015 द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प संख्या–3928, दिनांक 29.04.2015 द्वारा श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को श्री सिन्हा के स्थान पर संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–153/2015, दिनांक 13.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0–1 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है, आरोप सं0–2 को प्रमाणित एवं आरोप सं0–3 को प्रमाणित नहीं माना है।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव–बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि योजनाओं का सही अनुश्रवण नहीं हुआ है। योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिला है। अतः आरोपित

पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज को **'निन्दन' का दण्ड दिया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अंजनी कुमार, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26.4.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–57/2014 का० 3404/राँची, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

4.16

सरकार के उप सचिव।